

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

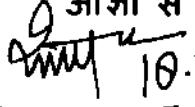
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / २०७ / 2021 दिनांक : 18.01.2021

श्री अनिल कुमार गुप्ता, (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को दिनांक 09.02.2021 से 11.02.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

18.1.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/1998/552

दिनांक : 18.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 18 दिनांक 06.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार